

Commission of Inquiry
into the Investigation of
the Bombing of Air India
Flight 182



Commission d'enquête relative
aux mesures d'investigation prises
à la suite de l'attentat à la bombe
commis contre le vol 182 d'Air India

Ottawa, Canada

सार्वजनिक सूचना

माननीय जॉन सी० मेजर, क्यू० सी० जो कि एयर इंडिया उड़ान 182 के ध्वस्त होने की छानबीन के लिए तहकीकात की कमीशन के नेतृत्व के लिए इंक्याइरीज़ एक्ट के भाग 1 के तहत कमीशनर नियुक्त किए गए हैं, अपनी प्रारंभिक व्याख्या बुधवार, 21 जून 2006 को सुबह के 11 बजे विकटोरिया हाल के वायटउन पैविलियन में देंगे जोकि औटवा (ऑंटारियो) में 111 सुसैक्स ड्राइव पर स्थित है।

श्रीमान् मेजर पेश करेंगे - कमीशन की मैडेट को, इसकी जांच के तौर का सूचीपत्र, और वो काम, व्यवहार और कार्यवाही तथा स्थायी और हिस्सेदारी निधिवंधन (सर्टिफिकेटिंग और पार्टिसिपेटिंग फंडिंग) की व्यवस्था के प्रति नियम बनायेंगे। 18 से 20 जुलाई 2006 तक कमीशन सार्वजनिक सुनवायी का संयोजन वायटउन पैविलियन में करेगा जहां उन लोगों और समुदायों, जोकि कमीशन के आगे पेश होने के लिए लिखित आवेदन करेंगे, से जबानी निवेदन लिए जायेंगे। आवेदन पत्र कमीशन के पास 7 जुलाई तक आवश्यक पहुंच जाने चाहिए।

पार्टिसिपेंट फंडिंग के लिए कमीशन के पास लिखित निवेदन पत्र 16 अगस्त 2006 तक आवश्यक पहुंच जाने चाहिए।

स्पष्ट प्रमाणिक सुनवाइयां सोमवार 25 सितम्बर 2006 को वायटउन पैविलियन में आरम्भ होंगी।

शीला-मैरी कुक्क

एक्ज़ेक्यूटिव डायरेक्टर/कमीशन सैक्रेटेरी

एयर इंडिया उड़ान 182 के ध्वस्त होने की छानबीन के लिए तहकीकात की कमीशन

पी० ओ० वाक्स 1298, स्टेशन बी०

औटवा, ऑंटारियो K1P 5R3

(613) 992-1834

फैक्स: (613) 995-3506

Canada